न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2022/479

1. विजयपाल पुत्र चेतराम, जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
2. मदनलाल पुत्र नथीया जाति अहीर, निवासी विरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
3. दलीप पुत्र चेतराम जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
4. रामसिंह पुत्र कुन्दन जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
5. लीलाराम पुत्र घडसीराम जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
6. हरिसिंह पुत्र नथीया जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
7. आनन्द पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
8. गजराज पुत्र चन्द्र जाति अहीर निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।
1. ग्राम पंचायत लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर जरिये सरपंच

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री विजयसिंह राठौड़ एडवोकेट अपीलॉर्थीगण की ओर से**
2. **श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 12.09.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (शिवर प्रभारी) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 497, 498, 506, 507 वाके ग्राम लुहादेरा अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी में कभी कोई कदीमी रास्ता व पगडण्डी नही रही है लेकिन पटवारी हल्का ने बिना मौके पर जाकर व अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना मौका पर्चा दिनांक 08.04.2022 को अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार किया गया जबकि वास्तव में पटवारी हल्का कभी मौके पर गये ही नही जो पर्चा मौका बनाया

P.T.O.

गया है और जिस पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये है उससे स्पष्ट है कि हस्ताक्षर फर्जी किये हुऐ है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर नही किया और इस सम्बन्ध में कोई जॉच पडताल भी नही की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 133, व 132 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के अनुसार कदीमी रास्ता दर्ज करने की अनुशंषा करने पर पारित किया है जबकि राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार अपीलान्ट को धारा 58(3) के तहत नोटिस जारी करना चाहिये था तथा मौके रिपोर्ट की एक प्रति अपीलान्ट को दी जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र की पालना न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्याय प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2022 की अपीलान्टान को पूर्व में कोई जानकारी नही थी क्योंकि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस या सूचना नही दी गई और ना ही पटवारी हल्का द्वारा कोई पर्चा मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसकी भी कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट के पीछे से बाला–बाला की गई है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.07.2022 को पटवारी हल्का द्वारा हुई जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर जानकारी की तो पता चला कि दिनांक 11.05.2022 को शिवर ग्राम पंचायत लुहादेरा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिस आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2022 को प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मशोहरा किया जिन्होने उक्त आदेश विरूद्ध अपील किये जाने की सलाह दी। जिस पर अपीलान्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर व पैसे आदि का इन्तजाम कर अपील करने के लिऐ जयपुर आकर वकील साहब से सम्पर्क किया जिन्होने अपील तैयार कर बिना किसी देरी की उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा जो हुआ है उस विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि ग्राम लुहादेरा के खसरा नम्बर 497, 498, 506, 507 में से कदीमी मौके पर काफी वर्षो से रास्ता चालू है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि पटवारी हल्का द्वारा भूमि विवादग्रस्त का मौका दिनांक 08.04.2022 को देखा गया है तथा उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 497, 498, 506, 507 में कदीमी रास्ता कई वर्षो से चालू है जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासीयों द्वारा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने में अपनी सहमति भी दी है एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा भी उक्त रास्ते के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2022 को यथावत रखा जाता है तथा दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रस्तावित नक्शे के अनुसार रास्ते में आपत्ति नही होना कथन करते हुए प्रस्तावित नक्शें के विपरित रास्ता अंकन करने का कथन भी किया है। ऐसी स्थिति में यह भी आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार के प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शें के अनुरूप ही रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/9/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।